

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 266/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-27.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 27.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना- मेंहनगर: अवैध असलहा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 26.7.25 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान महामण्डलेश्वर मन्दिर ग्राम गौरा से 02 व्यक्ति विवेक कुमार पुत्र योगेन्द्र ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 2. साहुल कुमार पुत्र राममूरत निवासी अहियाई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर एक अदद जिदा कारतूस 315 बोर व एक अदद रायफल 303 के साथ समय 13.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 386/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करते हुए विवेचना उ0नि0 रामगोपाल त्यागी द्वारा प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-विवेक कुमार पुत्र योगेन्द्र ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व साहुल कुमार पुत्र राममूरत निवासी अहियाई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर
- 2- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर
- 3- 01 अदद रायफल 303 बोर

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0- 385/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 386/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह उ0नि0 आदिल खाँ, उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह, उ0नि0 वीरेन्द्र कुशवाहा, का0 ग्रिजेश यादव , का0 वसीम अकरम तथा का0 अजय राय थाना मेंहनगर आजमगढ़।



02.थाना निजामाबाद: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

पीड़िता/वादिनी द्वारा दिनांक 26.07.25 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया कि लगभग 04 वर्ष से अंकित यादव पुत्र अच्छेलाल निवासी फरीदाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। जब शादी करने को कहा तो गाली-गलौज देकर मना कर दिया व रास्ते में आते जाते समय प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता की तहरीर को थाना स्थानीय पर दिनांक 26.07.25 को मु0अ0स0 261/25 धारा 69,351(3) BNS बनाम अंकित यादव उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 शुभम त्रिपाठी द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 27.07.25 को उ0नि0 शुभम त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित यादव उर्फ अनिकेत पुत्र अच्छेलाल यादव निवासी फरिदाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ को परसहा अण्डर पास से समय करीब 10.20 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अंकित यादव उर्फ अनिकेत पुत्र अच्छेलाल यादव निवासी फरिदाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 261/25 धारा 69,351(3) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 251/24 धारा 504,506 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 235/22 धारा 323, 504, 506 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 317/24 धारा 115(2),3(5),351(2),352 BNS व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) थाना गंभीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 शुभम त्रिपाठी 2. हे0का0 लच्छिराम राजभर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

